भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड,
कोटा – 324005, राजस्थान

सत्यमेव जयते

Government of India
Central Bureau of Narcotics
O/o The Dy. Narcotics Commissioner
Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road,
Kota-324005,Rajasthan

STD : 0744, PBX : 2438928, DNC : 2438929; Fax: 2438927
E-mail: dynarcotics@bsnl.in ; dnc-kota@cbn.nic.in Website : www.cbn.nic.in

F.No.I(22)-4/Adm/2018-

Dated:- 18.03.2020

पुनः निविदा

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ–I/ II/ III प्रतापगढ–I/ II इत्यादि पर माह अप्रैल, 2020 के प्रथम सप्ताह से अफीम तौल का कार्य किया जायेगा। जिसमें विभिन्न जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन के सभी पार्टस सहित रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

नियम व शर्ते

1. प्रत्येक तौल केन्द्र पर 2 या 3 हॉट एयर इलेक्ट्रिक ओवन का रखरखाव करना होगा, जिनकी संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है।
2. सभी हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, कोटा/झालावाड़/ भीलवाड़ा/ चित्तौड़गढ़–I / II/ III/प्रतापगढ– I/ II में रखे हैं, जिन्हे तुरंत जांच कर मरम्मत करेंगे। इस कार्य हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय में सुबह 09.30 बजे से 18.00 बजे तक जा सकते है।
3. उक्त सभी हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन की मरम्मत, रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी। हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन की मरम्मत में लगने वाले पार्ट भी आपके द्वारा ही लगाऐ जायेंगे। समस्त हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन को तौल केन्द्र पर लगानें **(Installation)** तौल के दोरान समस्त रखरखाव (**Maintenance**) एवं नियमित चलाने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
4. उक्त दरें सभी कर सहित है।
5. सील्ड निविदा दिनांकः– 23.03.2020 को 12.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांकः–23.03.2020 को ही 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
6. यदि कोई भी ओवन खराब होता है तो आपको उसे तुरन्त ठीक करवाना होगा।
7. बिल सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी के नाम बना कर इस कार्यालय में मय जिला अफीम अधिकारी की कार्य संतुष्टि की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
9. जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा, एवं कोटेशन मे जी.एस.टी.की दर अलग से दर्शायें।
10. धरोहर राशि के रूप में रू. 5000/–का ड्राफ्ट अधीक्षक (कार्यपालक) कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा के नाम या नकद जमा करें।

18/3

(विकास जोशी)
उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा राजस्थान

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा/झालावाड़/ चित्तौड़गढ़ – I/ II/ III भीलवाड़ा/प्रतापगढ़ I/ II को इस आशय से प्रेषित है कि आप, अपने इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।

18/3/2020

अधीक्षक (कार्यपालक)
कोटा राजस्थान